

Department of Parliamentary Affairs
Notification

Jaipur, January 4, 1983

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 4-B of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

The Rajasthan Legislative Assembly (Member's Family Pension) Rules, 1983

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Member's Family Pension) Rules, 1983.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 22nd June, 1977.

2. Application for family pension.—An application for the grant of family pension, under these rules shall be made by the person entitled to such pension under *Section 4-(B) of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers & Members Emoluments and Pension) Act, 1956 to the Secretary, Legislative Assembly in Form I :

Provided that on accepting any salaried post, the person shall not be eligible or entitled to be given the pension under these rules :

Provided further that the person shall not be entitled and eligible for the pension under these rules if he/she remarries.

3. Scrutiny of application and issue of Family Pension Payment Order.—(1) On receipt of an application for the grant of family pension under these rules, the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly shall determine, after such verification as he deems necessary, the eligibility or otherwise for the grant of family pension to the person claiming such pension under the Act.

* M. F7(1) Sansad/2010 dated 9th November, 2010 w.e.f. 1st August, 2009

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 4 जनवरी, 1983

जी. एस. आर. 101 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का परिवहन अधिनियम 6) की धारा 4-ख के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा (सदस्यों की कौटुम्बिक पेंशन) नियम, 1983

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार व प्रारम्भ** :- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (सदस्यों की कौटुम्बिक पेंशन) नियम, 1983 है।

(2) ये 22 जून, 1977 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **कौटुम्बिक पेंशन के लिए आवेदन-पत्र** :- राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1956 की धारा 4-ख के अधीन ऐसी पेंशन के प्ररूप I में हकदार व्यक्ति द्वारा इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन- सचिव, राजस्थान विधान सभा को में किया जायेगा :

परन्तु यह कि कोई वैतनिक पद स्वीकार कर लेने पर वह व्यक्ति इन नियमों के अधीन दी जाने वाली पेंशन का हकदार और पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि वह व्यक्ति इन नियमों के अधीन पेंशन का हकदार और पात्र नहीं होगा यदि उसने पुनर्विवाह कर लिया है।

3. **आवेदन-पत्र की संवीक्षा और कौटुम्बिक पेंशन के भुगतान आदेश का जारी किया जाना** :- (1) इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सचिव, राजस्थान विधान सभा अधिनियम के अधीन ऐसी पेंशन का दावा करने वाले व्यक्ति की कौटुम्बिक पेंशन मंजूर करने के लिए ऐसे सत्यापन के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी पात्रता या अपात्रता अवधारित करेगा।

(2) In case of person by whom the family pension is claimed is found eligible to the grant of the same, family pension payment order shall be issued in favour of the applicant by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly for the un-expired portion of the term of office of deceased member from the date of the death of such member in Form II.

4. Mode of payment of family pension.—(1) The first payment of pension and subsequent payments of pension for the months of May and November every year shall be subject to the production (in respect of the person entitled to pension under the Act) of a declaration in Form No. III.

(2) The family pension payment order shall be prepared in triplicate and the first copy shall be delivered to the applicant and the second shall be sent to the public sector bank branch approved by the State Government or to the Treasury Officer from which the applicant desired to draw his family pension. A copy thereof shall be retained for record.

(3) (i) The payment of family pension under these rules shall be made to the person in whose favour Family Pension Payment Order is issued either at a treasury in the State or through the public sector bank at his option. The payment of such pension under these rules through the public sector bank shall be made in accordance with scheme for payment of pension through public sector bank applicable to State Pensioners (as and when it is introduced).

(ii) When payment of family pension is desired at a treasury in the State, the half of the family pension payment order shall be sent to the Treasury Officer concerned by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and the payment of family pension shall be made to the person on presentation of the family pension payment order along with family pension bill in the Form IV. The record of payment of pension made shall be kept on the reverse portion of the Family Pension Payment Order and entries shall be made in both the halves of the family pension payment order in token of payment having been made under the attestation of the Treasury Officer.

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसके द्वारा कौटुम्बिक पेंशन का दावा किया गया है, कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र पाया जाये तो सचिव, राजस्थान विधान सभा मृत सदस्य की पदावधि के अनवरित भाग के लिए आवेदक के पक्ष में ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से प्ररूप II में कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

4. कौटुम्बिक पेंशन के संदाय की रीति :-(1) पेंशन का प्रथम संदाय और प्रति वर्ष मई और नवम्बर महीनों के पश्चातवर्ती संदाय (अधिनियम के अधीन पेंशन के हकदार व्यक्ति की बाबत) प्ररूप संख्या III में एक घोषणा पेश करने के अध्यक्षीन होगा।

(2) कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा तथा प्रथम प्रति आवेदक को दी जायेगी तथा द्वितीय प्रति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पब्लिक सैक्टर के किसी बैंक की शाखा या उस कोषाधिकारी को भेजी जाएगी, जिससे आवेदक अपनी कौटुम्बिक पेंशन लेना चाहता है। उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(3) (i) जिस व्यक्ति के पक्ष में कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी किया गया है उसे इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का संदाय उसके विकल्प पर या तो राज्य में बैंक के किसी कोष से या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक की मार्फत किया जायेगा। इन नियमों के अधीन उक्त पेंशन का संदाय राज्य के पेंशनर पर लागू होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की मार्फत संदाय की योजना के अनुसार जब कभी ऐसी योजना प्रारम्भ हो, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) जब कौटुम्बिक पेंशन का संदाय राज्य के किसी कोष से चाहा जायेगा तो कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश का कोष वाला आधा भाग सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी को भेजा जाएगा और उस व्यक्ति को कौटुम्बिक पेंशन संदाय उसके द्वारा IV में पेंशन का अभिलेख कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश के पृष्ठ भाग पर रखा जाएगा और संदाय कर दिये जाने के प्रतीक स्वरूप कोषाधिकारी के अनुप्रमाणन के अधीन कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश के दोनों अर्द्ध भागों पर प्रविष्टियां की जाएगी।

(4) A register of all the family pension payment orders shall be maintained by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly recording the particulars of family pension payment orders issued, cancelled or revised.

5. Issue of revised Family Pension Payment Order.—The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, on being satisfied that the revision of the family pension payment order issued under rule 3 is necessary, may, suo-motu or otherwise, issue revised family pension payment order from time to time as to conform to the provisions of the Act and rules and upon the issue of a revised family pension payment order, the previous family pension payment order in force shall cease to be effective :

Provided that the amount of the family pension shall not be reduced or ceased without issuing a show cause notice and providing an opportunity to the person concerned for making his representation within a time to be fixed by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.

6. Cessation of family pension.—Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule (3), the payment of family pension shall cease on the death of the person entitled to such Pension under the Act and in case the pensioner is elected as a member of the Rajasthan Legislative Assembly, from the date of such election and the Family Pension Payment Order in force for the time being, shall be returned by the person in possession thereof or the pensioner, as the case may be to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.

(4) सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा समस्त कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेशों का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें जारी, रद्द या पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेशों की विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी।

5. पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी किया जाना :- सचिव, राजस्थान विधान सभा को यह समाधान हो जाने पर कि नियम 3 के अधीन जारी किये गये कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है, वह उसे अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुरूप बनाने हेतु समय-समय पर, स्वप्रेरणा से या अन्यथा पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी कर सकेगा और पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी हो जाने पर पूर्व प्रवृत्त कौटुम्बिक पेंशन आदेश प्रभावी नहीं रहेगा :

परन्तु सम्बन्धी व्यक्ति को कारण बतलाने का नोटिस दिए बिना तथा सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा नीयत के भीतर अपना अभ्यावेदन करने के लिए अवसर दिये बिना कौटुम्बिक पेंशन की रकम घटाई या रद्द नहीं की जाएगी।

6. कौटुम्बिक पेंशन का बंद हो जाना :- नियम 3 के उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन ऐसी पेंशन के हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर और पेंशन प्राप्तकर्ता के राजस्थान विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हो जाने की दशा में ऐसे निर्वाचन की तारीख से कौटुम्बिक पेंशन का संदाय बन्द हो जाएगा और तत्समय प्रवृत्त कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश यथास्थिति जिस व्यक्ति के कब्जे में हो उसके द्वारा या पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा सचिव, राजस्थान विधान सभा को लौटा दिया जाएगा।

(96)

Form-I

Application for Family Pension

(See rule-2)

From :

.....

W/o/Husband/Son/Daughter of.....

Ex-Member, Rajasthan Legislative Assembly/
.....

To,

The Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly,
JAIPUR

Subject :— Grant of family pension under Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956

Sir,

Under section 4-B of the aforesaid Act, I am entitled to pension as my husband/wife/father/son or daughter Shri/Shrimati.....
..... remained member of.....for the following periods :—

(i) Member of Rajasthan Legislative Assembly from..... to

2. It is requested that necessary action may be taken to grant pension to me/Shri/Shrimati.....
I, Shri/Shrimati.....want to take my said pension from public sector Bank Branch.....
Treasury/Sub-Treasury.

(96)

प्ररूप-1

कौटुम्बिक पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

(देखिए नियम-2)

प्रेषक :-

श्री.....
पत्नी/पति/पुत्र/भूतपूर्व सदस्य.....राजस्थान विधान सभा

प्रेषिती :-

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का मंजूर किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन मैं, मेरे/मेरी/पति/पत्नी/पिता/पुत्र या पुत्री श्री/श्रीमती.....के निम्नलिखित कालावधियों तक.....का/की सदस्य रहने के कारण पेंशन पाने का हकदार हूँ :-

(1) राजस्थान विधान सभा का/की सदस्य.....से.....तक

2. निवेदन है कि मुझे.....को पेंशन मंजूर किये जाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जाये। मैं.....अपनी मंजूर किये जाने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की शाखा.....कोष/ उप-कोष.....से लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

3. I attach herewith the verified copies of the following documents verified by magistrate I Class/a gazetted officer of Central Government or State Government/existing member of Parliament/Rajasthan Legislative Assembly :—

- (1) Three specimen signature.
- (2) Three latest photo of passport size.

4. My present address.....
.....

My permanent address.....
.....

5. I hereby declare that :—

- (1) I, Shri/Shrimati.....am not working on the elected post of President or Vice-President or on the post of a Governor of any State or post of the Administrator of any Union Territory.
- (2) I, Shri/Shrimati.....am not a member of Council of States or House of the People or Legislative Assembly of any State or Union Territory or of Legislative Council of any State or Delhi Matropolitan Council framed under section 3 of Delhi Administration Act, 1956.
- (3) I,.....am/is not paid employee of Central Government or of any State or under the ownership of any local authority or of any Corporation controlled by it or I am/we are not otherwise entitled for any remuneration from the said Government or Corporation or local authority.
- (4) I,.....am/is working on the post of..... or member of.....or appointed on the post of.....or in a..... and I get Rs.....P.M. as a total remuneration.

3. मैं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/संसद या राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सदस्य द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज इससे संलग्न कर रहा/रही हूँ :-

- (1) नमूने के तीन हस्ताक्षर
- (2) पासपोर्ट आकार की तीन नवीनतम फोटो

मेरा वर्तमान पता.....

.....

मेरा स्थायी पता.....

.....

5. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

- (1) मैं.....राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचित पद पर अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद अथवा संघ राज्य के किसी क्षेत्र के प्रशासक के पद पर कार्य नहीं कर रहा/रही हूँ।
- (2) मैं.....राज्य सभा अथवा लोक सभा अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा अथवा विधान परिषद् अथवा दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूँ।
- (3) मैं.....केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन के अथवा उसके नियंत्रणाधीन किसी निगम का/की वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं हूँ अथवा मैं/हम उक्त या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से कोई पारिश्रमिक पाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं हूँ/हैं।
- (4) मैं.....के पद पर कार्य कर रहा हूँ/रही हूँ/हैं अथवा.....का/की सदस्य हूँ/हैं अथवा.....के पद पर अथवा.....में नियुक्त हूँ/हैं और प्रति माह पारिश्रमिक प्राप्त करता/करती हूँ।

- (5) I am authorised to submit this application for Shri/Shrimati/
Kumari, because.....this
application as an heir, is only for outstanding amount.
- (6) Identification mark of pension receiver.....
- (7) I have not been remarried.

Yours faithfully,

.....

(Signature)

Name in clear words.....

Place.....

Date.....

Rajasthan Legislative Assembly Secretariat

It is certified that Shri/Shrimati/Kumari.....
remained member of Rajasthan Legislative Assembly for the following
periods :—

From.....To.....

From.....To.....

From.....To.....

From.....To.....

It is certified that Shri/Shrimati/Kumari..... (in
legible words) remained member of the House of the People for the
following periods :-

From.....To.....

From.....To.....

From.....To.....

From.....To.....

*Senior Table Officer,
Secretariat of the H.O.P.*

(98)

(5) मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....की और से यह आवेदन.....के कारण प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूं। यह आवेदन बतौर वारिस केवल बकाया राशि के लिए है।

(6) पेंशन प्राप्तकर्ता का पहचान चिन्ह।

(7) मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम (साफ-साफ अक्षरों में).....

स्थान.....

तारीख.....

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

(सुपाठ्य अक्षरों में)

निम्नलिखित कालावधि तक राजस्थान विधान सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

.....से.....तक

.....से.....तक

.....से.....तक

.....से.....तक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

(सुपाठ्य अक्षरों में)

निम्नलिखित कालावधि तक लोक सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

.....से.....तक

.....से.....तक

.....से.....तक

सीनियर टेबल आफिसर,

लोक सभा सचिवालय।

It is certified that Shri/Shrimati/Kumari.....
(in legible words) remained member of the Council of the States for the
following periods :—

From.....To.....

From.....To.....

From.....To.....

From.....To.....

*Senior Table Officer,
Secretariat of the Council of the States.*

Rajasthan Legislative Assembly Secretariat

Dated, Jaipur, the.....20

Till further orders and in the end of every month, pay the amount
of Rs.....to Shri/Shrimati/Kumari.....
.....
the family pension amount under Rajasthan Legislative Assembly
(Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 and details
of which is as follows :—

| | |
|---|---------|
| Amount of family pension payable under Section 4-B of the Act, | Rs..... |
| Debit remuneration/Pension amount receiving under Section 4(b) of the Act, | Rs..... |
| Net amount payable of Pension | Rs..... |

Payment should be from date.....and
should be upto date.....

(Signature.....)
*Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly.*

(99)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

(सुपाठ्य अक्षरों में)

निम्नलिखित कालावधि तक राजस्थान विधान सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

.....से.....तक

.....से.....तक

.....से.....तक

.....से.....तक

सीनियर टेबल आफिसर,

लोक सभा सचिवालय।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर, दिनांक.....20

अगला आदेश होने तक और प्रत्येक महीने की समाप्ति पर श्री/श्रीमती/कुमारी.....

.....अथवा श्री/श्रीमती/कुमारी.....

को.....रुपये की राशि का संदाय करें, जो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की रकम है और जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन संदेय

कौटुम्बिक पेंशन की रकमरुपये

अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन

प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक/पेंशन की रकम

घटाइये।रुपये

संदेय पेंशन की शुद्ध रकमरुपये

संदाय दिनांक.....से आरम्भ होना चाहिये तथा तारीख.....

.....तक का संदाय किया जाए।

हस्ताक्षर.....

सचिव,

राजस्थान विधान सभा।

(100)

Form-II

(See rule-3)

Pension Payment Order

(In triplicate)

- (1) Amount disbursing officers portion.
- (2) Pensioners Portion.
- (3) Office.

Debitable to the State Government.

Account Head :—

Major Head

Minor Head

Voted

Photograph

Photo of Ex-MLA/Person authorised

under proviso of rule 2

verified by competent officer

1. Pensioner's Name
.....
(i) Name of the person authorised.
2. Address of the residence.....
.....
Village & Sub-Division.....
3. Identification mark of the pensioner
Signature of Ex-MLA/the person
authorised under proviso of rule 2
4. Class of the pension-pension under Rajasthan Legislative
Assembly (Officers & Members Emoluments & Pension) Act,
1956
5. Monthly pension amount Rs.....(in figures)
Rupees(in words)
6. Payment should be made from.....to.....
7. Payment office and place.....

Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.

(100)


प्ररूप-II

(देखिए नियम-3)

पेंशन संदाय आदेश

(तीन प्रतियों में)

- (1) रकम संवितरक अधिकारी का भाग
- (2) पेंशन पाने वाले का भाग
- (3) कार्यालय
राज्य सरकार को विकलनीय
लेखा शीर्ष :-



मुख्य शीर्ष.....
लघु शीर्ष.....
दत्तमत्त.....

1. पेंशनर का नाम.....
(क) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम.....
2. निवास स्थान का पता.....
गांव तथा उप खण्ड.....
3. पेंशनर का पहचान चिन्ह.....

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य नियम 2 के
परन्तुक के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति का
सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो

4. पेंशन की श्रेणी राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की, परिलब्धियां
और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन पेंशन
5. मासिक पेंशन की रकम रुपये.....(अंकों में)
रुपये.....(शब्दों में)

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य/नियम 2
के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

6. तारीख.....से.....तक का भुगतान किया जाये।
7. भुगतान-कार्यालय और स्थान.....

सचिव,

राजस्थान विधान सभा, जयपुर

Amount of pension in rupees.....(in words)
to be recorded under every separate payment by the order of disbursing officer.

| Month for which pension is due | 19 | 19 | 19 | 19 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | Date of payment | Amount disbursing officer signature | Date of Payment | Amount disbursing officer signature |

- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
- January
- February

FORM-III

Declaration

(To be submitted with the pension bill two times in the first and subsequent year i.e. in the months of May and November by the person authorised under rule 2)

I hereby declare that :—

I.....have been elected/nominated/appointed as a..... from.....to.....on the remuneration/salary of Rs.....P.M. from the date 22.6.77 or.....(in the case of second or subsequent declaration, write the date of last declaration)

पेंशन की रकम रुपये.....(शब्दों में)
रकम संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृथक भुगतान के नीचे अभिलिखित किया जाये।

| माह जिसके लिए पेंशन देय है | | 19 | 19 | 19 | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| भुगतान की तारीख | रकम संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर | भुगतान की तारीख | रकम संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर | भुगतान की तारीख | रकम संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर |

मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
जनवरी
फरवरी

प्ररूप-III

घोषणा

(नियम 2 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रथम तथा पश्चातवर्ती वर्ष में दो बार अर्थात् मई और नवम्बर में पेंशन बिल के साथ प्रस्तुत किया जाये)

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....
दिनांक 22.6.1977 या.....
(द्वितीय या पश्चातवर्ती घोषणाओं की दशा में यहां अन्तिम घोषणा की तारीख लिखें)
से.....रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक/वेतन पर
दिनांक.....से.....तक के रूप में निर्वाचित/नाम
निर्दिष्ट/नियुक्त हुआ हूँ/हुई हूँ।

2. I.....have not been elected/appointed on the post of the President/Vice President or on the post of Governor of a State or on the post of an Administrator of an Union Territory, or

3. I.....am not member of Council of States or House of the People or of any State Legislative Assembly or Council or Delhi Metropolitan Council constituted under section 3 of Delhi Administration Act, 1966, or

4. I.....am not paid employee of Central Government or any State Government or any Corporation owned or controlled by Central or State Government or any local authority, or I/Shri/Shrimati/Kumari.....am not entitled otherwise to get remuneration from said Government or Corporation or local authority, or

5. I.....am working on the post of.....or am member of.....or am appointed as a.....(write here the name of the office of Central Government/State Government/ Local authority/office of the corporation owned, controlled by Central Government or State Government)and I am receiving total remuneration Rs..... P.M.

6. I have not been remarried.

.....

Signature

Address.....

.....

.....

2. मैं,.....

राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति के पद पर अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक पद पर निर्वाचित/नियुक्त नहीं हुआ हूँ/हुई हूँ, अथवा

3. मैं,.....

राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूँ, अथवा

4. मैं,.....

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम का वेतन पर नियोजित कर्मचारी नहीं हूँ, अथवा

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....उक्त सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से पारिश्रमिक पाने का/की अन्यथा हकदार नहीं हूँ, अथवा

5. मैं,.....के पद पर कार्य कर रहा/रही हूँ अथवा.....की/की सदस्य हूँ अथवा.....के रूप में नियुक्त हूँ (यहां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के कार्यालय का नाम लिखें) और मुझे.....रुपये प्रति माह कुल पारिश्रमिक मिलता है।

6. मैंने पुनर्विवाह नहीं किया।

.....

हस्ताक्षर

पता.....

.....

.....

(103)

Form-IV

(A)

**Rajasthan Legislative Assembly
Family Pension Bill**

Rs. P.M.....Pension payment order
No.....dated.....

Memo :— Use this form for submitting next bill.

Months.....
Vouchers of the list of
payments for the year.....
.....

Distt.....Accounts Item
No.....

I received my due pension for the month.....20.....
amount Rs.....

Income Tax deduction Rs.....

Net amount Rs.....
(Rs. in words).....

Place.....

Date.....

Address of the Pensioner

Identify

(Signature)

Designation & Address.....

Received payment

(Revenue Stamps)

Pensioner

(103)

प्ररूप-IV

राजस्थान विधान सभा

कौटुम्बिक पेंशन बिल

प्रति माह.....रुपये पेंशन भुगतान आदेश संख्या.....
दिनांक.....

ज्ञापन :- इस प्ररूप का उपयोग अगला बिल प्रस्तुत करने के लिये किया जाये।

माह.....

वर्ष.....के भुगतानों की सूची

के वाउचर.....

जिला.....लेखा मद संख्या.....

.....

मुझे माह.....20.....की मुझे देय पेंशन की
रकम.....रुपये प्राप्त हो गई है।

आयकर कटौती.....रुपये

शुद्ध रकम.....रुपये

रुपये (शब्दों में).....

स्थान.....

तारीख.....

पेंशनर का पता

पेंशनर

भुगतान प्राप्त किया

में पहचानता हूँ

(हस्ताक्षर)

रेवेन्यू टिकट पेंशनर

पद नाम तथा पता

(104)

(A-I)

Certificate to be given when one does not appear in person (except where such certificate is not essential under any rule or order)

It is certified that I have seen the pensioner that he/she is alive and that he/she has signed this bill.

Name.....

Date..... *Designation*.....

Endorsement to be signed by the pensioner

Please, pay to.....pensioner

For the use of Treasury

Bank/Treasury.....

Pay Rs.....

Debited in the accounts.....

Acctt. T.O. or Sub-T.O.

Date.....

Receipt of the receiver

Received the payment

I identify

Signature of the Bearer or agent

Signature.....

Designation and Address.....

For Bank/Treasury

Payment made for Rs.....(in words.....)

Bank/Treasury

For the use of in the office of Rajasthan Legislative Assembly

Granted Rs.....

objection for Rs.....

Auditor

Suptt.

Secretary

स्वयं के उपस्थित होने की दशा में दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

(सिवाय इसके कि जहां किसी नियम या आदेश ऐसा प्रमाण-पत्र आवश्यक न हो)
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर को देखा है और यह कि वह जीवित है और
उसने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

तारीख..... नाम.....
पदनाम.....

पेंशनर द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला पृष्ठांकन

कृपया.....को भुगतान करें।

पेंशनर

खजाने के उपयोग हेतु

.....बैंक/खजाना
.....रुपये का भुगतान करें।
.....लेखे में विकलित किया गया।

लेखाकार

तारीख..... कोषाधिकारी या उप-कोषाधिकारी

प्राप्तकर्ता की रसीद

भुगतान प्राप्त किया वाहक या अभिकर्ता के हस्ताक्षर
में पहचानता हूं
हस्ताक्षर.....
पद नाम या पता.....

बैंक/खजाने के लिये

.....रुपये.....(शब्दों में) का भुगतान किया गया।

बैंक/कोषपाल

राजस्थान विधान सभा कार्यालय के उपयोग हेतु

.....रुपये स्वीकृत किये गये।
.....रुपये पर आपत्ति उठाई गई।

अंकेक्षक

अधीक्षक

सचिव